प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, राजसमन्द (राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर, **वर्ष 2022**
प्र.ई.रि.सं. 434/2022 दिनांक 4/11/2022

2.–(1) अधिनियम **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018** धारा 7
(2) अधिनियम धारा
(3) अधिनियम धारा.....–.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....–.....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....70.....समय.....3:00 P.M.....
(ब) अपराध के घटने का दिन गुरूवार, **दिनांक 03.11.2022, समय** 12.27 **पी.एम.**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की **दिनांक 23.09.2022 समय 02.00 पी.एम.**

4.–सूचना की किस्मः– लिखित/मौखिकः–लिखित

5–घटनास्थलः– पटवार मण्डल आमेट
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– दिशा–उत्तर पूर्व बफासला 31 किलोमीटर
(ब) पता.....
.....बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना.....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– श्री नारायण सिंह
(ब).–पिता का नाम :– श्री अमरदान
(स).–जन्म तिथि :– उम्र–52 वर्ष
(द).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य).–पासपोर्ट संख्या.....–.....जारी होने की तिथि.....–.....जारी होने की जगह.....–.....
(र).–व्यवसायः– कृषी
(ल).–पता :– निवासी मुण्डकोशिया, पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–.....

(1) श्री जितेन्द्र मीणा पुत्र श्री शिवजीराम जाति मीणा, उम्र 36 साल निवासी बस स्टेण्ड के पास घटियाली, तह0 व पुलिस थाना सांवर, जिला अजमेर हाल पटवारी पटवार मण्डल आईडाणा अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल लिकी तह. आमेट जिला राजसमन्द।

8.– परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारणः–कोई नही

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)
2500/– रूपये ट्रेप राशि (दौराने रिश्वत राशि लेन–देन आरोपी ने परिवादी को 500 रूपये वापिस दे दिये) कुल राशि 3,000/–रूपये

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य **2500/– रूपये ट्रेप राशि (दौराने रिश्वत राशि लेन–देन आरोपी ने परिवादी को 500 रूपये वापिस दे दिये) कुल राशि 3,000/–रूपये**

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....–.....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय जी,

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23–9–2022 को समय 2.00 पीएम पर परिवादी श्री नारायण सिंह पुत्र श्री अमरदान जाति चारण उम्र 52 वर्ष निवासी गांव मुण्डकोशिया पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "मै मुल रूप से मुण्डकोशिया पंचायत लिकी PS आमेट जिला राजसमन्द का रहने वाला हुं। मेरी पेतृक जमीन जो कि मुण्डकोशिया गांव में स्थित हे। उक्त जमीन का पूर्व में विभाजन हो रखा था उक्त जमीन का नामांन्तरण खुलवाना हे। पटवारी हल्का लीकी श्री जितेन्द्र कुमार मीणा मेरी मुण्डकोशिया गांव में स्थीत पतृक जमीन का नामान्तरण खोलने की एवज में 4000 चार हजार रूपये रिश्वत राशी की मांग कर रहा हे। मैं पटवारी श्री जितेन्द्र कुमार मीणा को रिश्वत राशी नही देना चाहता हु बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरी लीकी पटवारी श्री जितेन्द्र कुमार मीणा से कोई आपसी लेन–देन बकाया नहीं हे और ना ही कोई आपसी रंजीश हैं। अतः कानुनी कार्यवाई करावें।' 'परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं दरियाफ्त से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन दिनांक 24.09.2022 को कराया गया। जिसमें आरोपी पटवारी श्री जितेन्द्र कुमार मीणा द्वारा परिवादी से 4000 रूपये की मांग कर, दौराने मांग सत्यापन परिवादी से 1000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने की पुष्टि होना पाया गया। जिस पर दिनांक 03.11.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर समय करीबन 10.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117 व श्रीमती सीता नं. 233, कानि0 प्रदीप सिंह नं. 162, श्री भंवरदान नं. 414 तथा श्रीमती तारा म0 कानि0 नं. 259 को मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी साथ में लेकर मय सरकारी वाहन बोलेरो आरजे 14 युबी 0338 मय चालक मनोज कुमार कानि0 नं0 23 के ट्रेप कार्यवाही हेतु आमेट की तरफ आवश्यक हिदायत देकर रवाना करते हुए, मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री देवकीनन्दन गहलोत, श्री रमेशचन्द्र आमेटा व्याख्याता, श्री जितेन्द्र कानि0 नं0 262 मय लेपटोप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स के भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबन्धित वाहन संख्या 30 टीए 2191 मय चालक रतन लाल गाडरी के आमेट की तरफ रवाना हुए। समय करीबन 11.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी मय स्वतंत्र गवाहान के आमेट कस्बे के पास सालमपुरा रोड के किनारे पहूंचे जहां पर ब्यूरो का जाप्ता एवं पूर्व पाबन्द शुदा परिवादी श्री नारायण सिंह अपनी मोटरसाईकिल पर उपस्थित मिला। ततपश्चात परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रासायनिक प्रतिक्रिया करवायी गई। परिवादी श्री नारायण सिंह को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपूर्द करते हुए हिदायत कर रिश्वती राशि देने के बाद ब्यूरो टीम के सदस्य कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 के मोबाईल पर मिस कॉल कर निर्धारित ईशारा कुछ बोलकर करने हेतु निर्देशित कर परिवादी व कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 के मोबाईल नम्बर आपस में सेव कराये गये। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। परिवादी श्री नारायणसिंह को समय 12.05 पीएम पर उसकी निजी मोटरसाईकिल से कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 के साथ तहसील परिसर आमेट की तरफ रवाना कर, श्रीमती तारा कानि.नं. 259 को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी के साथ भ्रनिब्यूरो कार्यालय राजसमन्द के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के तहसील परिसर आमेट की तरफ रवाना हो तहसील परिसर आमेट पहुंच अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित इशारे व अग्रिम निर्देश के इन्तजार में मुकिम रहे। तत्पश्चात समय 12.27 पी0एम पर कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को फोन कर बताया कि मेरे पास परिवादी श्री नारायणसिंह का फोन आया और आरोपी पटवारी को रिश्वत राशि देने बाबत् निर्धारित बात बोलकर इशारा किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ब्युरो टीम के अलग अलग वाहनों में मौजुद ब्यूरो टीम के सदस्यो को साथ लेकर कानि0 जितेन्द्र कुमार के बताये स्थान तहसील परिसर आमेट के अन्दर स्थित कार्यालय पटवार मण्डल आमेट पहुंचा। जहां पर पूर्व में मौजुद कानि0 जितेन्द्र कुमार व परिवादी श्री नारायणसिंह एवं एक अन्य व्यक्ति उपस्थित मिले। परिवादी श्री नारायणसिंह ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया जो बंद था जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। तथा परिवादी ने कार्यालय पटवार मण्डल आमेट में सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही श्री जितेन्द्र मीणा पटवारी पटवार मण्डल लिकी हैं जिनको मैंने अभी–अभी 3,000 रूपये रिश्वत राशि दी हैं। उक्त व्यक्ति ने रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर दोनों हाथो से गिनकर रिश्वत राशि

3000 रूपये में से 500 रूपये मुझे वापस लोटा दिये और 2500 रूपये रिश्वत राशि अपनी पहनी हुई जीन्स पेण्ट की सामने की बांयी जेब में रखे है जो अभी भी श्री जितेन्द्र मीणा पटवारी की जेब में रखी हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर अपने आने का मन्तव्य बताते हुए उस व्यक्ति से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री जितेन्द्र मीणा पुत्र श्री शिवजीराम मीणा जाति मीणा, उम्र 36 साल निवासी बस स्टेण्ड के पास घटियाली, पुलिस थाना व तहसील सावर, जिला अजमेर हाल पटवारी पटवार मण्डल आईडाणा अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल लिकी व सैलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द मोबाईल नम्बर 9983691818 होना बताया। इसके उपरान्त आरोपी जितेन्द्र मीणा से परिवादी श्री नारायणसिंह से रिश्वत राशि ग्रहण करने के सम्बन्ध में पूछा तो वह कुछ नहीं बोला व चुप रहा तथा कुछ समय बाद आरोपी पटवारी श्री जितेन्द्र मीणा ने बताया कि श्री नारायणसिंह गांव मुण्डकोशिया में उनकी पेतृक जमीन का म्यूटेशन खुलवाने के लिए मेरे पास आये थे और उन्होने मुझे अपनी जमीन की रजिस्ट्री से सम्बन्धित दस्तावेज दिये और म्यूटेशन खोलने के लिए कहा। मैने श्री नारायणसिंह से रिश्वत राशि की मांग नहीं की थी। श्री नारायणसिंह ने अपनी जमीन का म्यूटेशन खुलवाने हेतु आज मुझे 3,000 रूपये दिये थे जिसमें से मैने 500 रूपये पुनः श्री नारायणसिंह को लौटा दिये और 2500 रूपये मैने मेरी पहनी हुई जीन्स पेण्ट की सामने की बांयी जैब में रखे हैं। आरोपी पटवारी श्री जितेन्द्र मीणा को परिवादी से रिश्वत राशि 2500 रूपये किस बात के प्राप्त किये हैं इस बारे में पूछा तो आरोपी पटवारी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैने श्री नारायणसिंह से रिश्वत राशि की मांग नहीं की हैं इन्होंने मुझे 3,000 रूपये दिये थे जिसमें से 500 रूपये मेने उनको वापस दे दिये और 2500 रूपये अपनी जैब में रखे हैं। इस पर मौके पर मौजुद परिवादी श्री नारायणसिंह ने बताया कि पटवारी जितेन्द्र मीणा झूठ बोल रहे हैं इन्होंने मेरी पेतृक जमीन का म्यूटेशन खुलवाने की एवज में ग्राम पंचायत लिकी से रसीद कटवाने के नाम पर पूर्व में 1,000 रूपये प्राप्त किये थे एवं 3,000 रूपये रिश्वत राशि और प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति प्रकट की। परिवादी श्री नारायणसिंह के उक्त कथन के सम्बन्ध में आरोपी पटवारी श्री जितेन्द्र मीणासे पूछा गया तो आरोपी पटवारी चुप हो गया और अपना सिर झुकाकर कुछ नहीं बोला। इसके पश्चात डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.09.2022 को आरोपी पटवारी श्री जितेन्द्र मीणा के समक्ष चलाकर सुनाया गया तो एक आवाज स्वयं की होना बताया एवं परिवादी श्री नारायणसिंह व स्वयं के बीच वार्तालाप होना ताईद किया। आरोपी पटवारी श्री जितेन्द्र मीणा से पुनः पूछताछ कर रिश्वत राशि के बारे पूछा तो आरोपी पटवारी ने बताया कि यह राशि मैने मेरे लिये ही ली हैं इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं हैं। मैने रिश्वत राशि लेकर गलती की हैं। ततपश्चात श्री भंवरदान कानि नम्बर 414 से गाडी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर हाथ धुलवाई की कार्यवाही हेतु कानि0 भंवरदान से ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलासों में अलग–अलग साफ पानी भरकर मंगवाया तथा उक्त दोनों गिलासों में अलग–अलग एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया। उक्त घोल को दोनों गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी पटवारी श्री जितेन्द्र मीणा के दाहिने हाथ की अंगुलियां एवं अंगूठा को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवा मार्क आर0 एच0–1 व आर0 एच0–2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी पटवारी श्री जितेन्द्र मीणाके बाये हाथ की अंगुलियां एवं अंगूठा को धुलवाया गया तो बाये हाथ के धौवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क एल0 एच0–1 व एल0 एच0–2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। आरोपी पटवारी श्री जितेन्द्र मीणा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रमेशचन्द्र आमेटा से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई जीन्स पेण्ट की सामने की बांयी जेब से 500–500 रूपये कि कुछ नोट मिले। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 500–500 के 05 नोट कुल राशि 2,500 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हुबहु होना पाया गया।

उक्त नोटों को एक सफेद कागज लगाकर शील्डचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री नारायण सिंह को आरोपी पटवारी द्वारा 500 रूपये का एक नोट जो वक्त रिश्वत राशि लेनदेन पुनः परिवादी को लौटाया था उक्त नोट के बारे में पूछने पर परिवादी ने अपनी जेब में से 500 रूपये का एक नोट स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पेश किया जिसके नम्बर का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो नोट का नम्बर हूबहू होना पाया गया। उक्त नोट को एक सफेद कागज लगाकर शील्डचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। चूंकि मौका घटनास्थल व्यस्तम होने तथा आम लोगों की आवाजाही अधिक होने से सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा को यथास्थिति साथ में लाये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूबी 0338 में बैठाकर, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सभी सदस्य मय परिवादी के तहसील परिसर आमेट से रवाना होकर समय करीब 01.55 पीएम पर पुलिस थाना आमेट पहुंच अग्रिम कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा की पहनी हुई जीन्स पेण्ट को सम्मानपूर्वक उतरवाकर दूसरी पेण्ट मंगवाकर पहनवाई गई। तथा कानि0 भंवरदान नम्बर 414 से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया तथा उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया। उक्त घोल को दोनों गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा की पहनी हुई जीन्स पेण्ट की सामने की बांयी जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क पी–01 व पी–02 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। उक्त पेण्ट बरंग ग्रे–ब्लेक की जेब को सुखाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान व सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा एक सफेद कपडे की थेली में रखकर सिल–चिट कर मार्क "पी" अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके पश्चात आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा से परिवादी के पेण्डिग कार्य से सम्बन्धित दस्तावेजात के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि श्री नारायणसिंह ने अपनी पेतृक जमीन का म्यूटेशन खुलवाने के लिए मुझे उसकी जमीन से सम्बन्धित दस्तावेजात दिये थे जो कार्यालय पटवार मण्डल आमेट में ही पडे हैं जहां से मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हुं। इस पर परिवादी श्री नारायणसिंह के म्यूटेशन खुलवाने से सम्बन्धित प्रमाणित दस्तावेजात व आरोपी का सेवा विवरण प्राप्त करने हेतु तहसीलदार आमेट को पत्र जारी किया गया। जिसके कम में तहसील कार्यालय आमेट से परिवादी की म्यूटेशन खुलवाने से सम्बन्धित प्रमाणित दस्तावेजात एवं आरोपी का सेवा विवरण प्राप्त हुआ जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किये गये। इसके पश्चात दिनांक 24.09.2022 को परिवादी व आरोपी पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी के वैध कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत लिकी द्वारा लिया जाने वाले शुल्क/रसीद कटवाने के लिए परिवादी से जिक कर उक्त रसीद के रूपये स्वयं द्वारा ही जमा कराने बाबत् परिवादी से एक हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई थी इस बाबत् ग्राम पंचायत लिकी से रसीद बुक जरिये फोन सूचना कर मंगवाई गई जो श्री नंदलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लिकी ने लाकर पेश की जिसका अवलोकन किया गया तो उक्त रसीद बुक पर ग्राम पंचायत लीकी रसीद बुक न0 01 सितम्बर 2020 से..... अंकित हो रसीद कम संख्या 01 से 81 तक रसीद कटी हुई हो कम संख्या 82 से 100 तक रसीद खाली पाई गई तथा उक्त रसीद बुक में परिवादी श्री नारायण सिंह चारण निवासी मुण्डकोशिया के नाम से कोई रसीद कटी हुई नही होना पायी गयी। तत्पश्चात उक्त रसीद बुक को कब्जे ब्यूरो ली जाकर प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात डिजीटल वॉईस रिकार्डर गवाहान के समक्ष चालू कर सुना गया तो रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता होना पाया गया। ततपश्चात रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रान्सकिप्ट अलग से मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों गवाहो एवं आरोपी के समक्ष सुना गया तो परिवादी व आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होने की पुष्टि की। समस्त फर्दात मौके पर तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर

करवाये गये। आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा पटवारी पटवार मण्डल आईडाणा अतिरिक्त चार्ज लीकी तहसील आमेट जिला राजसमन्द के विरूद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने से आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा पुत्र श्री शिवजीराम जाति मीणा उम्र–36 साल निवासी–बस स्टेण्ड के पास घटियाली तहसील व पुलिस थाना–सांवर, जिला अजमेर हाल–पटवारी पटवार मण्डल आईडाणा अतिरिक्त चार्ज लीकी तहसील आमेट जिला राजसमन्द को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा पटवारी पटवार हल्का आईडाणा अति0 चार्ज लीकी द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री नारायण सिंह व उसके भाईयों के आपस में जमीन के हिस्से की रजिस्ट्री का इन्तकाल खोलने के लिए 4,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा मांग सत्यापन दिनांक 24.09.22 के दौरान 1000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की। तथा रिश्वत राशि लेन–देन दिनांक 03.11.2022 को 3,000/–रूपये रिश्वत राशि आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा पटवारी द्वारा परिवादी श्री नारायण सिंह से प्राप्त कर 500 रूपये परिवादी नारायण सिंह को लौटाते हुए 2500 रूपये अपनी पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की बायीं जेब में रखे। जहां से रिश्वत राशि बरामद की गई। आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा की हाथ धुलाई करवाने पर दाहिने एवं बाये हाथ एवं आरोपी की पहनी हुयी जीन्स पेन्ट की सामने की बायी जेब के धोवण का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा पटवारी अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का प्रमाणित होना पाया गया हैं।

अतः आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा पुत्र श्री शिवजीराम मीणा जाति मीणा, उम्र 36 साल निवासी बस स्टेण्ड के पास घटियाली, पुलिस थाना व तहसील सावर, जिला अजमेर हाल पटवारी पटवार मण्डल आईडाणा अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल लीकी तहसील आमेट जिला राजसमन्द के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अनूप सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजसमन्द

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनूप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जितेन्द्र मीणा, पटवारी, पटवार मण्डल आईडाणा अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल लिकी तहसील आमेट जिला राजसमन्द के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 434/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 3766-70 दिनांक 4.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, राजसमंद।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।